बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 306921
ग्रा0वि0- 07(आं0)-51/2013 (पार्ट-I)

पटना, दिनांक- 06-04-2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,बिहार - विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।**

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 276082 दिनांक 23.06.2016, पत्रांक 289749 दिनांक 31.10.2016 तथा पत्रांक 292603 दिनांक 30.11.2016

महाशय,

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार, कामगार साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान पाने और किसी भी परिस्थिति में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के पंद्रह दिनों के अंदर भुगतान पाने के हकदार हैं । यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-II के पारा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद के विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05% की दर से विलंब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए हकदार है ।

इस संबंध में विभागीय स्तर पर विभिन्न बैठकों एवं विडियों कॉन्फेंस में निदेश दिये जाते रहे है । सरकार के स्तर पर विलंब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान एवं दोषी कर्मियों से अनुपातिक राशि वसूलने की नियमावली विचाराधीन है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Writ Petition (C) No.-857 of 2015 (Swaraj Abhiyan Vs Union of India & Ors.) द्वारा पारित आदेशानुसार ससमय मजदूरी का भुगतान तथा विलंब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान का अनुश्रवण भारत सरकार और विभागीय स्तर पर लगातार किया जा रहा है । ससमय पर मजदूरी भुगतान और विलंब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए निम्न दिशा-निर्देश दिये जा रहे है । विलंब के लिए दोषी कर्मियों से क्षतिपूर्ति के समतुल्य राशि की वसूली के नियमावली तय होने पर ही की जायेगी ।

उपरोक्त के अलोक में निम्न निदेश दिए जाते है :-

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि कामगारों को मस्टर रोल बंद होने (T) के 15 दिनों के अन्दर मजदूरी प्राप्त हो सके ।

2. मजदूरी भुगतान में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा विभिन्न पदाधिकारियों / कर्मियों की अभियोज्यता की गणना हेतु उन्हें सौंपे गए गतिविधि को पूरा करने के लिए अनुज्ञेय दिनों की संख्या निम्नवत् होगी :-

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	पदाधिकारी / कर्मी का नाम / पदनाम	गतिविधि को पूर्ण करने के लिए अनुमत दिवस
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	eMB में कार्य की मापी एवं माप पुस्तिका में इसे प्रविष्ट करना	पंचायत तकनीकी सहायक (पी0टी0ए0) / समकक्ष	T + 3 days
(2)	eMB में कार्य की मापी एवं माप पुस्तिका में की गयी प्रविष्टि का सत्यापन एवं जॉच	कनीय अभियंता (जे0ई0) या सहायक अभियंता (ए0ई0) (जैसी स्थिति हो)	T + 4 days
(3)	eMB में कार्य की मापी एवं माप पुस्तिका में की गयी प्रविष्टि का सत्यापन एवं जॉच	सहायक अभियंता (ए0ई0) / कार्यपालक अभियंता (ई0ई0) (जैसी स्थिति हो)	T + 6 days
(4)	eMR एवं eMB / MB कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करना	पंचायत रोजगार सेवक (पी0आर0एस0)	T + 7 days
(5)	ई मस्टर रोल एवं eMB को MIS पर अपडेट करना तथा वेज लिस्ट निर्गत करना तथा भुगतान के लिए भेजना	लेखापाल / कंप्यूटर ऑपरेटर / समकक्ष	T +9 days
(6)	फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (FTO) generate करना तथा हस्ताक्षर करना (1st Signatory)	मनरेगा लेखापाल / समकक्ष	T + 10 days
(7)	भुगतान के लिए फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (FTO) स्वीकृत करना (2nd Signatory)	कार्यक्रम पदाधिकारी (PO)	T + 11 days
नोट : "T", मस्टर रोल बंद होने की तारीख			

3. उपर्युक्त गतिविधि को पूर्ण करने के लिए यह अधिकतम सीमा होगी । अनुज्ञेय दिनों की संख्या से पूर्व सभी गतिविधि पूर्ण करना श्रेयस्कर होगा ।
4. मस्टर रोल के बंद होने की तिथि, कुल भुगतेय मजदूरी, विलम्ब की अवधि तथा 2nd Signatory द्वारा FTO स्वीकृति की तिथि के आधार पर कुल देय क्षतिपूर्ति की गणना स्वतः नरेगा सॉफ्ट द्वारा की जाएगी। प्रत्येक स्थिति में भुगतेय क्षतिपूर्ति स्वत: www.nrega.nic.in पर प्रदर्शित की जाएगी एवं प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी ।
5. क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान यथोचित सत्यापन के उपरान्त किया जाना है । प्रत्येक कार्यक्रम पदाधिकारी विलम्ब क्षतिपूर्ति के देय होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर यह निर्णय लेंगे कि नरेगा सॉफ्ट द्वारा स्वतः गणना की गई क्षतिपूर्ति देय है अथवा नहीं । क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य रोजगार गारंटी निधि (SEGF) upfront से की जाएगी । SEGF में राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान N-eFMS से किया जा सकता है ।

6. अपवाद की स्थिति, जब क्षतिपूर्ति भुगतेय नहीं है :-

   क. भुगतान करने वाले प्राधिकार स्तर पर निधि उपलब्ध न हो ।

   ख. क्षतिपूर्ति देय न हो ।

   ग. गृह-मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार / अथवा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा यथा-परिभाषित प्राकृतिक आपदा ।

7. कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुआवजे के दावों का निपटारा निर्धारित समय अर्थात मुआवजा देय होने के 15 दिनों के अंदर हो जाए और इस प्रकार के दावों को बिना किसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संग्रहित / लंबित रखने की अनुमति नहीं होगी । अस्वीकृति वाले सभी मामलों में कार्यक्रम पदाधिकारी अस्वीकृति का विस्तृत कारण नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड करेंगे और भविष्य में जांच-पड़ताल के लिए अपने कार्यालय में इसका रिकार्ड संधारित करेंगे ।

8. जिस तिथि को क्षतिपूर्ति भुगतेय है उस तिथि से पंद्रह दिनों के पश्चात् क्षतिपूर्ति के भुगतान में कोई विलम्ब मजदूरी के भुगतान में विलम्ब के समान ही विचारनीय होगा । कार्यक्रम पदाधिकारी विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में इसके भुगतेय तिथि के 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होंगे । इसमें विफल रहने पर उक्त विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली सरकार के स्तर पर नियमावली अधिसूचित होने पर कार्यक्रम पदाधिकारी से की जायेगी ।

9. सरकार के स्तर पर नियमावली अधिसूचित होने पर भुगतान किये गए क्षतिपूर्ति की वसूली विलंब के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी / पदाधिकारियों / कर्मी / कर्मियों से किया जाना है । फिलहाल कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा विलंब के दोषी पदा0/कर्मियों को चिन्हित करते हुए वसूलनीय राशि की गणना करके रखेंगे ।

10. जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नियमित रूप से नरेगा सॉफ्ट पर विलंब से संबंधित रिपोर्ट संख्या R-7.2.2, R-14.1 का अनुश्रवण कर सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों के माध्यम से अकुशल मजदूरी का भुगतान ससमय करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं विलंब की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का ससमय निष्पादन पर भी निगरानी रखेंगे ।

विश्वासभाजन

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव